न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 54/2020
GCMS NO. : 2020/00096

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति–राजपूत निवासी– घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।		1. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण जिला पाली। 2. पटवारी, पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली। 3. भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.07/08/2020

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 16/05/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली की सीमा में खसरा नम्बर 40 रकबा 53 बीघा 08 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई है जिसमें से वादी ने जरिये रजिस्टर्ड शैल डीड दिनांक 08/11/2000 को 10 बीघा भूमि बैचानकर्ता अर्जुनसिंह पुत्र रेवतसिंह जी जाति राजपूत निवासी घोडावड से अपने सगे भाई भंवरसिंह के साथ खरीद की यानि कि वादी ने रजिस्टर्ड शैल डीड दिनांक 08/11/2000 को 05 बीघा भूमि खरीद की है जिस पर वादी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है नकल रजिस्टर्ड शैलडीड दिनांक 08/11/2000 की साथ पेश है। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के खरीद करने के पश्चात् जरिये नामान्तरण संख्या 575 के वादी का नाम माफिक उक्त रजिस्टर्ड बैचान के आधार से बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज किया गया, वादी ने भूमि खरीद की उस समय वादी ने अपने घर परिवार में लाड प्यार से पुकारे जाने वाले नाम महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम खरीद की थी जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह है जो वादी [illegible] कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण–पत्र आदि में भी वादी का नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज है जो वादपत्र के साथ संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

है। इस प्रकार जरिये शैलडीड के नामान्तरण के साथ दर्ज राजस्व रेकर्ड मानवीय त्रुटि व रोंग एन्ट्री है जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में चल रही है तथा इस रोग एन्ट्री की जानकारी दिनांक 13/07/2020 को होने पर राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर उक्त रोंग एन्ट्री बाबत् जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड मे वादी का सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज करने बाबत् आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया तो उन्होंने न्यायालय से राजस्व रेकर्ड दुरस्त करवाने का कथन किया जिसके सम्बन्ध में वादी की खरीद शुदा सम्पत्ति में उक्त रोग एन्ट्री एवं रेकर्ड दुरुस्त करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादी को आये दिन उक्त रेकर्ड को लेकर अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी एवं गैरकसरकारी योजनाओं से फायदा नहीं उठा पा रहे है न ही ऋण आदि व किसानकार्ड बन रहा है जिस पर सह-खातेदारों से सम्पर्क किया तो उन्होंने मौके पर कब्जे काश्त एवं अपने नाम की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का कथन किया इसलिए सह-खातेदारों के विरुद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नही चाही गई है। इसलिए सह-खातेदार काश्तकार को प्रतिवादी पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 13/07/2020 को वादी को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज होने की सर्व प्रथम जानकारी होने पर सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने एवं वादी द्वारा प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने गलत नाम के स्थान पर सही व वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम दर्ज करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरुस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मौजा घोड़ावड तहसील जैतारण जिला पाली की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खसरा नम्बर 40 अन्य सह-खातेदार के साथ में महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने बेचाननामा पंजियन कराते समय महेन्द्रसिंह के नाम से खरीद की गई, इस बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण में भी महेन्द्रसिंह दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रा०मा०वि० बलाड़ी द्वारा जारी टी.सी., आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सुरेन्द्रसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

है। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली माननीय राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर, पाली के आदेशानुसार **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, घोडावड पर पेश हुई। मजमा–ए–आम में वादी मय वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण की बहस सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। मजमा–ए–आम प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 में उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उपयुक्त विवेचन के आलोक में बिन्दूवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 (प्रदर्श–8) ग्राम घोडावड खसरा नम्बर 40 रकबा 8.6441 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का अध्ययन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी में भंवरसिंह, महेन्द्रसिंह पि0 अमरसिंह 100/267 के 1/2 हिस्से अनुसार सहखातेदार के रूप में अंकित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय विलेख (प्रदर्श–7ए) अनुसार खातेदार अर्जुनसिंह पुत्र रेवतसिंह द्वारा खसरा नम्बर 40 रकबा 53 बीघा 8 बिस्वा में से स्वयं के 1/2 हिस्से में से 10 बीघा भूमि का बैचान भंवरसिंह, महेन्द्रसिंह पिसरान अमरसिंह के नाम किया गया। उक्त बैचाननामा उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण के द्वारा दिनांक 08.11.2000 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4 के क्रम संख्या 1070 के पेज संख्या 121 पर पंजीयन किया गया।
2. वादी सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01के अनुसार उक्त भूमि बैचानकर्ता अर्जुनसिंह पुत्र रेवतसिंह जी जाति राजपूत निवासी घोडावड से अपने सगे भाई भंवरसिंह के साथ खरीद की यानि कि वादी ने रजिस्टर्ड शैल डीड दिनांक 08/11/2000 को 05 बीघा भूमि खरीद की है जिस पर वादी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने भूमि खरीद की उस समय वादी ने अपने घर परिवार में लाड प्यार से पुकारे जाने वाले नाम महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम खरीद की थी जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह है। अन्य शहादत में गवाह अमरसिंह पुत्र फेफसिंह का बयान प्रस्तुत किया। गवाह अमरसिंह ने अपने बयान गवाह में यह सशपथ कथन किये कि "वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह है।" गवाह देवीसिंह पुत्र फेफसिंह ने अपने बयान गवाह में यह सशपथ कथन किये कि "मैं वादी सुरेन्द्रसिंह व उसके पिता अमरसिंह व इनके परिवार वालों को जानता पहचानता हुँ, क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हुँ। वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह है।" गवाह रणजीत सिंह पुत्र नाथुसिंह ने अपने बयान गवाह में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
जैतारण (पाली)

यह सशपथ कथन किये कि "मैं वादी सुरेन्द्रसिंह व उसके पिता अमरसिंह व इनके परिवार वालों को जानता पहचानता हुँ, क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हुँ। वादी का सही व वास्तविक नाम एवं दस्तावेजी नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह है।"

3. प्रदर्श दस्तावेजों प्रदर्श–1ए (निर्वाचन विभाग का पहचान–पत्र), प्रदर्श–2ए (पैन कार्ड), प्रदर्श–3ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–4ए (ड्राईविंग लाईसेंस), प्रदर्श–5ए (टी.सी.), प्रदर्श–6ए (मूल निवास प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–9ए (कक्षा 8 वीं बार्ड प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–10ए (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अंकतालिका), प्रदर्श–11ए (प्रोविजनल सर्ट्रिफिकेट) में वादी का नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह दर्ज है।

4. राजस्थान सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, रामावासकलां में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों द्वारा दौराने उभयपक्ष बहस वादी का नाम महेन्द्रसिंह की बजाय सुरेन्द्रसिंह होना बताया गया।

5. तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में कथन किया कि ग्राम घोडावड के खसरा नम्बर 40 रकबा 8.6441 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में अन्य सह–खातेदार के साथ में महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह का नाम दर्ज है। वादी ने बेचाननामा पंजियन कराते समय महेन्द्रसिंह के नाम से खरीद की गई, इसी बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण में भी महेन्द्रसिंह दर्ज किया। उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह दुरूस्त किया जाना उचित है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादी के दस्तावेजात एवं **प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 व महंगाई राहत प्रशासन कैम्प–2023** ग्राम पंचायत मुख्यालय, घोडावड में मजमा–ए–आम उभयपक्ष की बहस के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 40 रकबा 8.6441 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह के स्थान पर वादी का दस्तावेजो में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ प्रविष्टि 'महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह' दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर 'सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 40 रकबा 8.6441 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:16 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ वादी का नाम **महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टि– **'महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह'** *के स्थान पर* ***सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

निर्णय आज दिनॉक 16/05/2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प घोडावड में सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

–: वादी :– बनाम –: **प्रतिवादीगण** :–

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति–राजपूत निवासी– घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी जैतारण जिला पाली।
2. पटवारी, पटवार हल्का घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।
3. भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत **निवासी** घोडावड तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0बा0स0– 54/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार, जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 40 रकबा 8.6441 **हैक्टेयर** किस्म बारानी अव्वल के **भू–अभिलेख में जहॉ–जहॉ** वादी का नाम **महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह** अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की निम्न प्रविष्टि– **'महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह' *के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह'*** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प घोडावड में आज तारीख 16/05/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	[illegible]	[illegible]	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	[illegible]राय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	[illegible]	0.00
मिजानः–	7.00		0.00

नोट– ऐसे खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह है [illegible] को यह डिक्री [illegible] दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 17:37:16 IST
Reason: SelfAttested